

डिक्री

( आ० 20 नियम 6 / जा०दी० )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री मनीष ( आ०००००० )

अनवान प्रकरण

श्री हरदेव डा० श्री गोपीलाल बलाई निवासी - दांता कला तहसील - माण्डल

वादी

बनाम

1. श्री सती भाग्यती देवी ध० श्री बड़ी बाल बलाई निवासी - दांता कला त० माण्डल

2. श्री राजस्थान राज्य जिरिए तहसीलगा सा० माण्डल तहसील - माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 54 मुकदमा नं०/वर्ष 62/22 निर्णय दिनांक 19-3-24

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी

मिनजानिब मुददई व श्री रतनलाल आर्ट Advo. मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुकम

दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर

डिक्री वदस्त वादी ऐप उतिवादी से ००१ मेरस काशय की जारी की जाती है

कि ग्राम दांता कला पखार हल्का दांता कला तहसील माण्डल मे स्थित

निम्नोक्ति आराजियात विभाजन अनुसार वादी ऐप उतिवादी सेख्या 01

के नाम हक हिस्सेनुसार क्मि को राजस्व रिफॉर्ड मे दर्ज किये जाने

का आदेश दिया जाता है।

1. श्री हरदेव डा० श्री गोपीलाल बलाई निवासी - दांता कला तहसील - माण्डल

आराजी नं० २कषा

530/2 - 0.10.12 हैब्टेयर

आज तारीख 19-3-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी  
गई।



उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल, माण्डल भीलवाड़ा